संख्याः 1437 /XV-1/17/1(14)/16

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषयः नकुल स्वास्थ्य पत्र (पशुधन संजीवनी) केन्द्रपोषित योजना में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3567/नि–5/एक(46)/2017–18 दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नकुल स्वास्थ्य पत्र (पशुधन संजीवनी) केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 17.46 लाख (₹ सत्रह लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न–बी०एम० 09 में अंकित बचतों से उनके सम्मुख अंकित मदों में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,

अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य– 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0117–नकुल स्वास्थ्य पत्र/पशुधन संजीवनी–एन.एम.बी.पी(श्वेत क्रांति) 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत डाला जायेगा तथा संलग्न वी०एम०–09 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–125/XXVII-4/2017 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–वी०एम०–09

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 1457 (1)/XV-1/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुन्डीर)
उप सचिव